

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 2001 में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (अनंतिम आंकड़े) हुई। राज्य ने 2003-04 से 2012-13 के दौरान 16.58 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (38.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (21.92 प्रतिशत) से उच्चतर था। 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,61,874 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष से 16.85 प्रतिशत बढ़ा। राज्य की साक्षरता दर में आंशिक वृद्धि 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 70.63 प्रतिशत हुई जो कि अखिल भारतीय औसत 74.04 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी। 2003-04 से 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (13.06 प्रतिशत) में दशकीय वृद्धि सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.94 प्रतिशत) की तुलना में निम्न थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (इसमें विकास सूचक सम्मिलित) परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सुरगुजा।

**वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की
वार्षिक संवृद्धि दर**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (QE)*	2012-13 (AE)*
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,97,276	2,27,984	2,60,198	3,09,687	3,61,874
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

(स्रोत: योजना आयोग आंकड़ा तालिका एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

*QE- त्वरित अनुमान, AE- अग्रिम अनुमान

[®] वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2010-11 एवं 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2010-13 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	2010-11 (P)	2011-12 (Q)	2012-13 (A)
प्राथमिक क्षेत्र ²	63,698 (24)	80,093 (26)	95,088 (26)
द्वितीयक क्षेत्र ³	77,178 (30)	88,241 (28)	99,717 (28)
तृतीयक क्षेत्र ⁴	1,19,323 (46)	1,41,353 (46)	1,67,069 (46)

(P)- अनंतिम, (Q)- त्वरित, (A)- अग्रिम

कोष्ठक में आंकड़े कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के अंशदान को दर्शाते हैं

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2012-13 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

² कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्यपालन इत्यादि सम्मिलित हैं

³ खनन एवं खदान, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं

⁴ व्यापार, होटल एवं रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को परिशिष्ट 1.3 एवं परिशिष्ट 1.4 में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2012-13 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है, जबकि परिशिष्ट 1.5 भाग-क वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2012-13 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					आयोजनेतर	आयोजना	योग
अनुभाग-क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	62,604.07	70,427.28	राजस्व व्यय	52,693.71	44,619.20	18,349.33	62,968.53
कर राजस्व	26,973.44	30,581.70	सामान्य सेवाएं	16,228.64	17,613.11	92.03	17,705.14
करेतर राजस्व	7,482.73	7,000.22	सामाजिक सेवाएं	20,296.94	12,686.85	11,688.62	24,375.47
संघ करों/शुल्कों का अंश	18,219.13	20,805.16	आर्थिक सेवाएं	12,964.91	11,019.66	5,803.69	16,823.35
केंद्र सरकार से अनुदान	9,928.77	12,040.20	सहायतानुदान तथा अंशदान	3,203.22	3,299.57	765.00	4,064.57
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	31.45	पूंजीगत परिव्यय	9,055.16	23.91	11,542.98	11,566.89
			सामान्य सेवाएं	167.16	4.73	200.16	204.89
			सामाजिक सेवाएं	1,599.12	9.68	1,611.31	1,620.99
			आर्थिक सेवाएं	7,288.88	9.50	9,731.51	9,741.01
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	9,122.56	32.53	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	15,760.56	3,842.13	1,536.12	5,378.25
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	9.14	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	3.70			7.02
लोक ऋण प्राप्तियां	6,750.25	8,791.16*	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,149.79			3,583.94*
आकस्मिकता व्यय निधि	100.00	-	आकस्मिकता व्यय निधि	100.00			-
लोक लेखा प्राप्तियां	76,315.22	86,247.57	लोक लेखा संवितरण	73,279.04			82,735.57
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,900.44	7,775.88	अन्तिम रोकड़ शेष	7,775.88			7,074.81
योग	1,61,817.84	1,73,315.01	योग	1,61,817.84			1,73,315.01

*अर्थात् अग्रिम एवं अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर।
(स्रोत: वित्त लेख)

विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,823.21 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,608.26 करोड़ से), संघ के करों/शुल्कों के अंश (₹ 2,586.03 करोड़ से) एवं भारत सरकार से अनुदान और अंशदान (₹ 2,111.43 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2012-13 के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 513.77 करोड़ अधिक रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 10,274.82 करोड़ (19.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,858.44 करोड़ से), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,078.53 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,476.50 करोड़ से) एवं अनुदान और अंशदान (₹ 861.35 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 2,511.73 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 2,452.13 करोड़ से) के अंतर्गत थी। सामान्य सेवा क्षेत्र एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि क्रमशः ₹ 37.73 करोड़ एवं ₹ 21.87 करोड़ थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) में ₹ 2,040.91 करोड़ (30.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण के पुनर्भुगतान में ₹ 434.15 करोड़ (13.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 9,932.35 करोड़ (13 प्रतिशत) एवं ₹ 9,456.53 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 701.07 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2012-13 के बजट के साथ (क) वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण और (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण को रखा है। चयनित संकेतकों के लिए 2010-11 के लिए वास्तविक, 2011-12 के लिए पुनरीक्षित अनुमान एवं 2012-13 के लिए बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत है (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान को तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2 : 2012-13 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	(+) 6,370 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.89 प्रतिशत)	(+) 7,459 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.06 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न	(-) 10,018 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 9,420 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.60

		हो, तक कम करना	का 2.98 प्रतिशत)	प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का अनुपात	36.80 प्रतिशत	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	28.09 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.92 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	---	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 7.99 प्रतिशत	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.33 प्रतिशत


(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंधान 2010-15, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2012-13 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2012-13)

- राज्य ने 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा।
- 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.60 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा के भीतर था। तथापि 2011-12 की तुलना में यह अनुपात (1.86 प्रतिशत) उच्चतर था।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 24.92 प्रतिशत पर 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य (40 प्रतिशत) के भीतर था तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (36.8 प्रतिशत) के भीतर भी था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (28.09 प्रतिशत) से भी कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 12.33 प्रतिशत थीं जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों (80 प्रतिशत) में निर्धारित सीमा के भीतर थीं लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (7.99 प्रतिशत) के प्रक्षेपणों से अधिक थी।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2012-13 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: वित्त लेखे और बजट अनुमान 2012-13)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 70,427 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 513 करोड़ (0.7 प्रतिशत) अंशतः उच्चतर थीं।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 30,582 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 2,270 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था। आगे, करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 327 करोड़ (चार प्रतिशत) कम था।
- राजस्व व्यय बजट अनुमान से कम था जबकि पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से अधिक था क्रमशः ₹ 575 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 747 करोड़ (सात प्रतिशत)।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 701 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में कमी के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया जबकि प्राथमिक घाटा बजट अनुमानों से अधिक था।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग 2007-08 में शुरूआत की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणी में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं

से संबंधित थे। 2012-13 के दौरान, 22 विभागों⁵ में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2012) की गई जानकारी के अनुसार, 2008-09 से 2012-13 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में सम्मिलित वर्षवार आवंटन, व्यय और मांग की प्रतिशतता तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3: 2008-13 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2008-09	309.59	398.39	128.68	9,792.29	8,470.67	86.50
2009-10	638.68	868.67	136.01	11,977.79	1,510.02	12.61
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,467.60	NA	NA	21,932.76	NA	NA

*NA- वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदाय सूचना)

वित्त विभाग ने अनुदेश जारी किए (दिसम्बर 2006) कि रिपोर्टिंग से संबंधित अभिलेख एवं जेण्डर बजटिंग के अनुवीक्षण का संधारण संबंधित विभागों द्वारा किया जाना चाहिए एवं वित्त विभाग जेण्डर बजट से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण एवं इस प्रकार के विश्लेषण के लिए उपलब्ध अध्ययन रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2013)। तथापि आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं एवं महिला सशक्तीकरण (महिला एवं बाल विकास), भोपाल द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2013) जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) श्रेणी 1 के अंतर्गत तीन योजनाओं⁶ एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत सात योजनाओं⁷ में 2012-13 के दौरान व्यय, श्रेणी 1 एवं 2 के लिए निर्धारित राशि से बहुत कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

⁵ 1. खेल एवं युवा कल्याण, 2. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, 3. किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 5. नगरीय प्रशासन एवं विकास, 6. स्कूल शिक्षा, 7. पंचायत, 8. अनुसूचित जाति कल्याण, 9. सामाजिक न्याय, 10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, 11. पशुपालन, 12. उच्च शिक्षा, 13. जन शक्ति नियोजन, 14. विमानन, 15. महिला एवं बाल कल्याण, 16. ग्रामीण उद्योग, 17. पिछड़ा वर्ग कल्याण, 18. अनुसूचित जाति कल्याण, 19. ग्रामीण विकास, 20. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 21. आयुष विभाग, 22. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण

⁶ घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सहायता एवं सुरक्षा के लिए केंद्र (उषा किरण), महिला कल्याण निधि के अंतर्गत योजना एवं इंदिरा गांधी मातृ सहायता योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)

⁷ अटल बाल आरोग्य मिशन, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण, संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण, समेकित बाल संरक्षण योजना, महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव, परिवीक्षा इकाई एवं नाबार्ड अंतर्गत प्री फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

(ii) 2012-13 के दौरान श्रेणी 1 (₹ 0.47 करोड़) एवं श्रेणी 2 (₹ 12.06 करोड़) के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित ₹ 12.53 करोड़ औषधि किट, पंजियों की छपाई एवं सबला किट की खरीद के लिए रखे गए थे, को लोक लेखे (8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा शीर्ष के अंतर्गत) में अंतिम व्यय दर्शाते हुए अंतरित कर दिया गया था। योजना निधियों का जमा लेखे में अंतरण न केवल महिलाओं के लिए इच्छित हितलाभ प्राप्ति को प्रभावित करता है बल्कि उस वर्ष के व्यय को बढ़ा हुआ बताता है।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2 में 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।


चार्ट 1.2 संसाधनों के संघटक एवं उपसंघटक



तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि **चार्ट 1.3** वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं **चार्ट 1.4** 2012-13 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े की संवृद्धि दर प्रदर्शित करते हैं)
(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 85, 11 एवं चार प्रतिशत समाविष्ट है। 2008-13 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः 110 प्रतिशत व 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

- वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर केवल दो प्रतिशत थी। हमने देखा कि 2008-13 की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 77 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत के मध्य था। 2008-13 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 11 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत के मध्य था।
- 2011-12 में लोक ऋण प्राप्तियां ₹ 6,750 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 8.28 प्रतिशत) से 2012-13 में ₹ 8,791 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 10.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए केंद्रीय सरकार से कर्ज एवं बाजार ऋण के अंतर्गत अधिक उधारियाँ थी।
- कुल पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 7,035 करोड़ (44.25 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 9,090 करोड़ से) की वसूली में कमी एवं लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई (₹ 2,041 करोड़ से)।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों की बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते।

2011-12 में एवं 2012-13 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/राज्य के विभाग	₹ करोड़ में)	
			2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित	2012-13 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,968.51	1,610.15
2	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,904.27	1,353.43
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,138.05	242.88
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	600.84	14.96
5	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	426.68	237.89
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल प्रदाय मिशन, मध्य प्रदेश. भोपाल	140.09	550.37
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	242.39	461.22
8	उत्कृष्टता के चिह्न के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	202.74	22.93
9	केंद्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	150.76	257.80

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/राज्य के विभाग	2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित	2012-13 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	146.82	247.15
11	भारतीय विद्वान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	भारतीय विद्वान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	142.00	167.36
12	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	132.10	223.00
13	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	1.32	128.30
14	आजीविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	115.39	142.71
15	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्यप्रदेश	109.64	63.84
16	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थान इत्यादि को सहायता	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान	12.54	16.92
17	अन्य		367.62	492.75
योग			8,801.76	6,233.66


(स्रोत: वित्त लेखे)

2012-13 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,65,539 करोड़)⁸ में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण पर प्राप्त राशि (₹ 6,233.66 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित निधियों के प्रभावी उपयोग में निगरानी व्यवस्था में पर्याप्त नियंत्रण पद्धति होना चाहिए। तथापि, सरकार में इन निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण की कोई पद्धति नहीं थी, जोकि राजकोषीय प्रचालन एवं जवाबदेही में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की पारदर्शिता की अपेक्षा को समाप्त कर सकता है।


1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी चित्रित की गई हैं।



(कोष्ठक में आंकड़े संवृद्धि दर दर्शाते हैं)
(स्रोत: वित्त लेखे)

⁸ इसमें सकल लोक लेखा प्राप्तियां सम्मिलित हैं।



(स्रोत: वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2008-09 में ₹ 33,577 करोड़ से 2012-13 में ₹ 70,427 करोड़ तक 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (43 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (10 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।
- 2008-13 की अवधि के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 41 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि करेत्तर राजस्व ने परिवर्ती (Fluctuating) प्रवृत्तियां प्रदर्शित की जो कि 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत के मध्य रहा। 2008-13 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान के साक्षेप अंशदान ने भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई।
- 2012-13 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कुल ₹ 7,823 करोड़ की वृद्धि में, ₹ 4,697 करोड़ (60 प्रतिशत) केंद्रीय अंतरणों एवं शेष ₹ 3,126 करोड़ (40 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	33,577	41,395	51,854	62,604	70,427
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.41	23.28	25.27	20.73	12.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85
राजकोषीय देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.26	12.28	11.28	8.28	10.29
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	13.28	26.88	24.00	25.93	13.38

राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.02	18.16	19.93	20.22	19.46
उत्प्लावकता अनुपात⁹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.42	1.50	1.79	1.09	0.74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.60	1.73	1.70	1.36	0.79
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.70	0.87	1.05	0.80	0.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.42	0.79	0.80	0.44	0.61

(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। तालिका 1.5 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2008-09 में 17.02 प्रतिशत से 2011-12 में 20.22 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2012-13 में अंशतः 19.46 प्रतिशत की कमी आई।
- 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 9.41 प्रतिशत से 2010-11 में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन 2012-13 में 12.5 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 1.09 एवं 1.36) की तुलना में 2012-13 (क्रमशः 0.74 एवं 0.79) में कमी आई, जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों (2011-12 में 20.73 प्रतिशत से 2012-13 में 12.50 प्रतिशत) में कम वृद्धि का होना था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2012-13	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	21,982	51,110	28,312	30,582
करेत्तर राजस्व	5,172	7,517	7,327	7,000

(स्रोत: वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2012-13 तथा 2013-14 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

⁹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

यह देखा जा सकता है कि कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति (क्रमशः 39.12 प्रतिशत एवं 35.34 प्रतिशत से) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में उच्चतर थीं। कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों की तुलना में (आठ प्रतिशत से) उच्चतर थी किंतु करेतर राजस्व के अंतर्गत निम्नतर (चार प्रतिशत से) थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: राज्य के कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹ करोड़ में)
						पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,843	7,724	10,257	12,517	14,856	(+) 18.69
राज्य उत्पाद शुल्क	2,302	2,952	3,603	4,317	5,078	(+) 17.63
वाहन कर	773	919	1,198	1,357	1,531	(+) 12.82
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,479	1,783	2,514	3,284	3,944	(+) 20.10
भू-राजस्व	339	180	361	279	444	(+) 59.14
माल तथा यात्री कर	1,333	1,333	1,746	2,047	2,395	(+) 17.00
अन्य कर*	545	2,382	1,740	3,172	2,334*	(-)26.42
कुल कर राजस्व	13,614	17,273	21,419	26,973	30,582	(+) 13.38

* अन्य करों में विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 1,478 करोड़), कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 413 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 255 करोड़) एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 188 करोड़) सम्मिलित हैं।
(स्रोत: वित्त लेखे)

- 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (17 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (13 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहन कर (पाँच प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि (₹ 2,339 करोड़ से) का मुख्य कारण पंजीकरण शुल्क में बढ़ोत्तरी एवं राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत वस्त्रों, शर्करा एवं विद्युत उत्पादन पर पाँच प्रतिशत का वैट अधिरोपित करना था। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति में वृद्धि (₹ 761 करोड़ से) मुख्यतः शीर्ष 102-देशी किण्वित लिकर एवं 104-लिकर के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 660 करोड़ से) का मुख्य कारण स्टाम्पों की बिक्री के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि था।
- कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के अंतर्गत कमी (₹ 666 करोड़ से) का मुख्य कारण साधारण संग्रहण के अंतर्गत करों का कम प्राप्त होना था। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 295 करोड़ से) का मुख्य कारण भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत एवं अन्य प्राप्ति के अंतर्गत फीस का कम प्राप्त होना था।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2011-13 के दौरान वाहन कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

स.क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	11,830.00	12,516.73	111.36	0.89	0.75
		2012-13	14,000.00	14,856.30	129.32	0.87	0.83
2.	वाहन कर	2011-12	1,285.00	1,357.12	40.40	2.97	3.71
		2012-13	1,400.00	1,531.25	40.07	2.62	2.96
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	4,050.00	4,316.49	973.88	22.56	3.05
		2012-13	4,800.00	5,078.06	1,188.87	23.41	2.98
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2011-12	2,000.00	3,284.41	63.71	1.94	1.60
		2012-13	3,200.00	3,944.24	79.00	2.00	1.89

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा प्रदाय जानकारी)

2012-13 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था। बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से उच्च थी जबकि वाहन कर के अंतर्गत यह निम्न थी।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹ करोड़ में)
						पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
ब्याज प्राप्तियां	163	1,284	299	1,571	301	(-)80.84
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,361	1,590	2,121	2,038	2,443	(+)19.87
वानिकी तथा वन्य प्राणी	686	80	837	879	910	(+)3.53
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	319	745	1,194	1,551	1,682	(+)8.45
लाभांश एवं लाभ	69	50	32	38	18	(-)52.63
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	745	2,633	1,237	1,406	1,646	(+)17.07
योग	3,343	6,382	5,720	7,483	7,000	(-)6.45

(स्रोत: वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2011-12 में ₹ 7,483 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7,000 करोड़ तक, ₹ 483 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 1,270 करोड़ से) में कमी था जो अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 405 करोड़ से) और अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹ 345 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुई। ब्याज प्राप्तियों में कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज (₹ 1,172 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।
- 2012-13 के दौरान, करेत्तर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालों में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (35 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (24 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्य प्राणी (13 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी ऋण अधित्याग प्राप्त नहीं किए गए थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2008-09 में ₹ 5,853 करोड़ से 2012-13 में ₹ 12,040 करोड़ तक की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	1,015	1,533	1,636	2,114	333
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,824	3,102	4,522	4,215	7,099
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	201	393	649	364	500
केंद्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	1,813	1,635	2,270	3,236	4,108
विशेष आयोजनागत योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	5,853	6,663	9,077	9,929	12,040
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.15	13.84	36.23	9.39	21.26
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.44	16.10	17.50	15.86	17.10

(स्रोत: वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,111 करोड़ की वृद्धि का कारण राज्य आयोजनागत योजना (₹ 2,884 करोड़ से), केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजना (₹ 872 करोड़ से) एवं केंद्रीय आयोजनागत योजना (₹ 136 करोड़ से) में वृद्धि था जो आयोजनेत्तर अनुदान (₹ 1,781 करोड़ से) में कमी द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ। 2012-13 में राज्य आयोजनागत योजना के लिए अनुदान में वृद्धि मुख्यतः ब्लॉक अनुदान (₹ 696 करोड़ से) एवं पंचायतीराज (₹ 1,819 करोड़ से) के अंतर्गत थी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान में ₹ 872 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः पिछड़े वर्गों का कल्याण-शिक्षा (₹ 816 करोड़ से), शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (₹ 210 करोड़ से), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (₹ 466 करोड़ से) एवं कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी (₹ 452 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी जो कि बाल कल्याण

(₹ 988 करोड़ से) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिशतुलित हुआ। केंद्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान में वृद्धि मुख्यतः वन संरक्षण विकास तथा संपोषण (₹ 131 करोड़ से) के अंतर्गत था।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2012-13 के दौरान ₹ 20,805 करोड़ के कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 21,604 करोड़ से अंशतः कम थी। तथापि केंद्रीय कर अंतरणों में 2011-12 में ₹ 18,219 करोड़ से 2012-13 में ₹ 20,805 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

2012-13 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग ने ₹ 2,853.95 करोड़ अनुदानों के रूप में, जिसमें राज्य के लिए विशिष्ट अनुदान सम्मिलित है, कि अनुशंसा की थी। इसके विरुद्ध, राज्य सरकार ने कुल ₹ 2,527.84 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए गए थे। विवरण तालिका 1.11 में दिए गए हैं:

तालिका 1.11: अनुशंसित अंतरण एवं वास्तविक जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमोचित राशि
1.	स्थानीय निकाय	1,246.44	1,170.41
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	920.61	964.43
	सामान्य मूल अनुदान	519.17	545.46
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	356.30	373.83
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	22.57	22.57
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	22.57	22.57
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	325.83	202.98
	सामान्य मूल अनुदान	188.53	198.08
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	129.40	निरंक
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.95	3.95
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.95	3.95
2	आपदा राहत	324.76	324.76
3	परिणामी अनुदान में सुधार	141.42	4.84
	(i) शिशु मृत्यु दर में कमी	--	4.84
	(ii) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	--
	(iii) यू.आई.डी. जारी करने के लिए प्रोत्साहन	49.94	--
	(iv) जिला एवं राज्य स्तर पर सांख्यिक पद्धति में सुधार	10.00	--
4	पर्यावरण से संबंधित अनुदान	159.58	122.58
	(i) वन का संरक्षण	122.58	122.58
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	37.00	--
5	प्रारंभिक शिक्षा	452.00	452.00
6	सड़कें एवं पुल	222.00	222.00
7	राज्य विशिष्ट अनुदान	307.75	231.25
	(i) आंगनबाड़ी केंद्र	100.00	100.00
	(ii) पुलिस प्रशिक्षण	45.00	45.00

(iii) पर्यटन विकास	45.00	42.50
(iv) स्वास्थ्य अधोसंरचना	62.50	--
(v) विरासत संरक्षण	43.75	43.75
(vi) गांधी मेडिकल कॉलेज में वायरस विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	6.00	--
(vii) एम.टी.एच. अस्पताल, इंदौर का उन्नयन	5.50	--
योग	2,853.95	2,527.84

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

तीन विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2013) के दौरान हमने वास्तविक व्यय राशि से अधिक राशि के त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण, तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का अनुपयोगी रहना एवं जमा लेखे में राशियों को रोक कर रखना देखा।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- 2010-15 की अवार्ड अवधि के दौरान भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर (अप्रैल 2011) आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ₹ 400 करोड़ संस्वीकृत किए थे। भारत सरकार के आदेशानुसार (दिसंबर 2012), प्रथम किस्त के रूप में जारी राशि में से दो तिहाई राशि के उपयोग के पश्चात ही द्वितीय किस्त जारी की जानी थी। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार (मार्च 2012) एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ जारी किए, इसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 48.55 करोड़ का व्यय हुआ। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग के माध्यम से ₹ 100 करोड़ के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किए (जनवरी 2013)। हमने देखा कि भारत सरकार ने 2012-13 के लिए पुनः ₹ 100 करोड़ जारी किए (मार्च 2013) जो अनुप्रयुक्त रहे (जून 2013)। इस तरह, 2011-12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में ₹ 100 करोड़ में से ₹ 51.43 करोड़ अप्रयुक्त रहे। इसके अतिरिक्त 2012-13 के लिए ₹ 100 करोड़ की अगली किस्त भी अप्रयुक्त रही।

महिला एवं बाल विकास विभाग के उप संचालक ने बताया (जून 2013) कि वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त ₹ 100 करोड़ के अनुदान कार्यों की संस्वीकृति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। उन्होंने, तथापि, अविगत शेष एवं 2011-12 के दौरान बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण के बारे में उत्तर नहीं दिया।

संस्कृति विभाग

- 2011-12 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 34.87 करोड़ के अनुदान स्मारकों/संग्रहालयों के विकास एवं संधारण हेतु उपलब्ध कराए गए थे। वित्त विभाग के आदेशानुसार, आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (निदेशालय) ने 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा के अंतर्गत राशि जमा कराई। हमने देखा कि जनवरी 2013 में निदेशालय ने ₹ 26.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किए। इस बारे में पूछे (जून 2013) जाने पर निदेशालय ने बताया कि जून 2013 तक ₹ 15.07 करोड़ की

राशि 47 संग्रहालयों के विकास और संरक्षण हेतु उपयोग की गई। उन्होंने यह भी बताया कि ₹ 26.04 करोड़ के आहरण की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की गई थी, उसके आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे गए। तथापि, व्यय के विवरण निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। हमने यह भी देखा कि भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 48.58 करोड़ जारी (12 मार्च 2013) किए वो भी जून 2013 तक अविगत रहे।

आयुक्त, पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय भोपाल ने बताया (अगस्त 2013) कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक बार फिर से ₹ 48.58 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए, जिनका अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाएगा। उत्तर क्रम में नहीं है क्योंकि ₹ 68.38 करोड़ के वित्त आयोग के अनुदान जून 2013 तक अप्रयुक्त रहे तथा ₹ 15.07 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹ 26.04 करोड़ के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

वन विभाग

2012-13 के दौरान, ₹ 122.58 करोड़ के सहायता अनुदान "वन संरक्षण" के लिए जारी किए गए थे, उसमें से 25 प्रतिशत वनों के परिरक्षण एवं संधारण हेतु उपयोग किए जाने थे। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति¹⁰ के अनुमोदन अनुसार ₹ 30.65 करोड़ वन विभाग को उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

➤ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने वर्ष 2012-13 के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत जिसमें उन्नत वृद्धा सम्मिलित है के लिए ₹ 3.30 करोड़ अनुमोदित किए (अगस्त 2012), जिससे प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र के बफर जोन के ग्रामों ने वन संसाधनों पर जीवीय दबाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने उन ग्रामों में जहाँ ह्रास वन के पुनर्वास का कार्य किया जाना है, शेष राशि, यदि कोई है तो, के उपयोग हेतु निर्देश दिए।

हमने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विकास के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा (जून 2013) कि ₹ 1.60 करोड़ की राशि क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उनके प्रस्ताव पर कार्यालय भवन, विश्राम गृह, लाइन क्वार्टर्स एवं पेट्रोलिंग केम्प में उर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने पर राशि के उपयोग हेतु आवंटित की गई थी। परिणामतः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के ग्रामों में उर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त रहा एवं ₹ 1.60 करोड़ का आवंटन उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति के निदेशों के विरुद्ध था।

इस ओर इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने वन विभाग द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा, राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास का कार्य प्राथमिकता के

¹⁰

अनुदान के संबंध में विशिष्ट शर्तों का अनुवर्तन सुनिश्चित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय दोनों लक्ष्यों के अनुवीक्षण एवं कार्य योजना के अनुमोदन का उत्तरदायित्व है।

आधार पर कराया जाना, अनुमोदित कर दिया था लेकिन अन्य कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि शासकीय भवनों पर किया गया व्यय, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा जिस उद्देश्य के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, के विपरीत था।

➤ मानव संसाधन विकास गतिविधियां-वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

वन विभाग को उपलब्ध कराए गए ₹ 30.65 करोड़ में से, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति (अगस्त 2012) ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 2 करोड़ के प्रस्ताव मानव संसाधन विकास गतिविधियों, वन विभाग के रेंजर्स एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर उपयोग हेतु, अनुमोदित किए। उक्त राशि अगस्त 2012 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) को आवंटित की गई थी। हमने देखा (जून 2013) कि प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षण देने के स्थान की कमी के कारण संपूर्ण राशि फरवरी 2013 तक अप्रयुक्त रही। इस अप्रयुक्त राशि में से, विभाग ने वन विकास समिति को वन के विकास एवं संधारण के लिए ₹ 1.35 करोड़ एवं उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लिए ईको पर्यटन बोर्ड को ₹ 65 लाख उपलब्ध कराए (फरवरी 2013)। इस तरह, प्रशिक्षण का प्रस्ताव बिना किसी उपयुक्त आयोजना के उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत किया गया था परिणामतः आवंटनों का प्रयोग न होना एवं अन्य गतिविधियों के लिए राशियों का व्यपवर्तन हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि अनुमोदित गतिविधियां आगामी वित्तीय वर्षों में की जाएगी। तथ्य यह है कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का वर्ष 2012-13 के दौरान अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया।

1.3.5 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2013 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: कर का अपवंचन

स. क्र.	राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2012 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2012-13 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें आंकलन/अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं शास्ति, इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	253	239	492	220	122.81	267 ¹¹
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	29	निरंक	29	निरंक	निरंक	29
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,685	10,734	24,419	8,025	32.20	16,394

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

¹¹ विभाग ने पाँच प्रकरणों के अंतिम शेष में अंतर के लिए कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किए।

इस तरह, बिक्री, व्यापार आदि पर कर और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां	6,632	8,651	7,861	15,899	8,864
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24	22	367	23	31
अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	3	2	3	9
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	54	23	34	9,123	33
लोक ऋण प्राप्तियां	6,553	8,603	7,458	6,750	8,791
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर	94.39	31.28	-13.31	-9.49	30.24
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर	-33.05	-39.24	739.58	2,170.22	-99.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	90.08	30.44	-9.13	102.25	-44.25

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश में 2011-12 में ₹ 22.62 करोड़ से 2012-13 में ₹ 21.45 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 32.53 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 99.48 करोड़) से निम्न थी। विगत वर्ष की तुलना में ₹ 9,090 करोड़ की वास्तविक वसूली में महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत थी। 2011-12 में कर्जों की वसूली असामान्य रूप से अधिक, मुख्यतः विद्युत वितरण कम्पनी को कार्यशील पूंजी (₹ 7,351 करोड़) के लिए कर्ज, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को कार्यशील पूंजी (₹ 4.94 करोड़) के लिए अल्पकालीन कर्ज एवं उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण (₹ 6.42 करोड़) में वसूली के कारण थी।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्तियां

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। 2012-13 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में मुख्यतः आंतरिक ऋण के अंतर्गत वृद्धि हुई।

• आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

आंतरिक ऋण प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 5,718 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7,234 करोड़, कुल ₹ 1,516 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः बाजार ऋण एवं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत वृद्धि था।

• भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2011-12 में ₹ 1,032.60 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,557.31 करोड़, कुल ₹ 524.71 करोड़ की वृद्धि संपूर्णतः राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत हुई।

1.5 लोक लेखे प्राप्ति

निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2008-13 के दौरान लोक लेखे प्राप्ति के संबंध में प्रवृत्तियों को तालिका 1.14 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.14: लोक लेखे प्राप्ति में प्रवृत्तियां

	(₹ करोड़ में)				
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखे प्राप्ति	46,460	52,353	65,675	76,315	86,248
(क) अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,387	1,512	1,737	2,033	2,319
(ख) आरक्षित निधि	599	764	1,191	1,534	2,441
(ग) जमा एवं अग्रिम	7,911	9,334	9,724	9,872	6,502
(घ) उचंत एवं विविध	27,446	31,457	41,810	50,620	59,819
(ङ) प्रेषण	9,117	9,286	11,213	12,256	15,167

(स्रोत: वित्त लेखे)


लोक लेखे प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 76,315 करोड़ से 2012-13 में ₹ 86,248 करोड़, कुल ₹ 9,933 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध (18 प्रतिशत से) तथा प्रेषण (24 प्रतिशत से) के अंतर्गत हुई जिसे जमा एवं अग्रिमों (34 प्रतिशत से) के अंतर्गत कमी के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2008-13) के कुल व्यय (लोक ऋणों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे)

2008-13 के दौरान राज्य के कुल व्यय में ₹ 41,831 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 4,854 करोड़ (72 प्रतिशत) एवं ₹ 33,454 करोड़ (113 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश 2008-09 में 77 प्रतिशत से 2012-13 में 79 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अंश 2008-09 में 18 प्रतिशत से 2011-12 में 12 प्रतिशत तक की कमी आई और इसके पश्चात 2012-13 में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012-13 में, विगत वर्ष की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 7,942 करोड़ की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान कुल आयोजना व्यय¹² में ₹ 5,310 करोड़ की वृद्धि हुई एवं कुल आयोजनेतर¹³ व्यय में विगत

¹² राजस्व, पूँजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना खर्च सम्मिलित है।


¹³ राजस्व, पूँजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना खर्च सम्मिलित है।

वर्षों की तुलना में ₹ 2,906 करोड़ की कमी आई। 2012-13 के दौरान आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय, कुल व्यय के क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 61 प्रतिशत रहे।


2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,407 करोड़ (तीन प्रतिशत से) की वृद्धि का कारण मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 10,274 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं पूंजीगत व्यय में ₹ 2,512 करोड़ (28 प्रतिशत) वृद्धि था जिसे कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 10,382 करोड़ (66 प्रतिशत) की कमी के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 951 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़ से), परिवहन (₹ 387 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 218 करोड़ से), उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 201 करोड़ से), उद्योग एवं खनिज (₹ 174 करोड़ से) में वृद्धि था जिसे सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 99 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 25 करोड़ से) में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

2012-13 में कुल व्यय (₹ 79,920 करोड़ से) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़ से) से पूरा किया जा सकता था।



(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- कुल व्यय की तुलना में अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंतर्गत व्यय का अंश कुल व्यय की तुलना में 2008-09 में 27.01 प्रतिशत से 2012-13 में 22.41 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में अंतरवर्षीय परिवर्तन सहित 2008-09 में 30.04 प्रतिशत से 2012-13 में 32.53 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2008-09 में 33.41 प्रतिशत से 2011-12 में 26.13 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी और इसके पश्चात 2012-13 में 33.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2008-09 में 63.45 प्रतिशत से 2012-13 में 65.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सहायता अनुदानों के अंश में 2011-12 में 4.13 प्रतिशत से 2012-13 में 5.09 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- 2008-13 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिमों का अंश 4.89 प्रतिशत एवं 20.33 प्रतिशत के मध्य रहा। 2012-13 के दौरान यह कुल व्यय का 6.73 प्रतिशत था।

1.6.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में 2008-09 में ₹ 6,713 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 14.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। 2012-13 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,512 करोड़ (28 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय का 99.79 प्रतिशत आयोजना पूंजीगत व्यय (₹ 11,543 करोड़) था जिसमें 2011-12 में ₹ 9,023 करोड़ के स्तर से ₹ 2,520 करोड़ तक की वृद्धि हुई। आयोजना पूंजीगत व्यय में आर्थिक सेवाओं में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़ से), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 951 करोड़ से) उर्जा (₹ 201 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 387 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2008-09 में ₹ 29,514 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ की वृद्धि हुई, इसमें इस अवधि के दौरान 22.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि पर दिखाई दी। 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल राजस्व व्यय ₹ 10,274 करोड़ (19.50 प्रतिशत) अधिक था। इनमें से, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अंतर्गत वृद्धि ₹ 7,942 करोड़ (77 प्रतिशत) थी, जबकि आयोजना राजस्व व्यय के अंतर्गत वृद्धि ₹ 2,332 करोड़ (23 प्रतिशत) थी।
- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर (39.83 प्रतिशत) थे जबकि ये राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए निर्धारणों के लगभग बराबर था जैसा कि तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में से संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2012-13	31,909	44,597	44,619

(स्रोत : वित्त लेखे और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2008-09 में ₹ 21,892 करोड़ से 2012-13 में ₹ 44,619 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि में 20.80 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में कुल राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत समाविष्ट है।
- 2012-13 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 7,942 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 1,252 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 1,096 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 877 करोड़ से), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 815 करोड़ से), स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन (₹ 673 करोड़ से), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 558 करोड़ से) तथा जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 517 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2008-13 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,332 करोड़ (14.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2011-12 की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 685 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 568 करोड़ से), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹ 430 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 529 करोड़ से), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 413 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 247 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1.6.4 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं राजसहायताएं सम्मिलित हैं। तालिका 1.16 एवं चार्ट 1.10 2008-13 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	19,901	16,026 (22.76)
आयोजनेत्तर शीर्ष	7,660	9,406	11,490	12,274	---	14,133
आयोजना शीर्ष**	887	1,272	1,610	1,839	---	1,893

ब्याज अदायगियां	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	6,275	5,574 (7.91)
पेंशन भुगतान	2,433 (7)	3,077 (7)	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	5,826	4,947 (7.02)
राजसहायताएं	132 (0.39)	2,033 (4.91)	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	22,768	5,697 (8.09)
योग	15,304 (46)	20,242 (49)	23,726 (46)	26,728 (43)	54,770 (78)	32,244 (46)

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

**आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।

(स्रोत: वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े तथा बजट दस्तावेज)

2012-13 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं (₹ 32,244 करोड़) पर कुल व्यय राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। 2008-13 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं पर समग्र व्यय में, 22.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से 111 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान 12.65 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में वृद्धि 20.64 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, 2008-13 की अवधि के दौरान, यह 43 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2012-13 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था एवं बजट अनुमानों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

- वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2008-09 में ₹ 8,547 करोड़ से 2012-13 में ₹ 16,026 करोड़ तक 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.80 प्रतिशत के मध्य रहा।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान आयोजनेतर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2012-13 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय ₹ 16,026 करोड़ बजट अनुमान में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 19,901 करोड़) से कम था।

पेंशन भुगतान

- पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2008-09 में ₹ 2,433 करोड़ से 2012-13 के दौरान ₹ 4,947 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में ₹ 558 करोड़ (13 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 270 करोड़ से), उपदान (₹ 135 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 58 करोड़ से) और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान (₹ 32 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।
- 2012-13 में ₹ 4,947 करोड़ का वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,826 करोड़ के बजट अनुमानों से 15.09 प्रतिशत कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 3,549 करोड़ से 39.39 प्रतिशत अधिक था।

ब्याज अदायगियां

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ब्याज अदायगियां तालिका 1.17 में दी गई हैं।

तालिका 1.17: ब्याज अदायगियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज अदायगियां	4,192	4,454	5,049	5,300	5,574

(₹ करोड़ में)

- 2012-13 के दौरान ₹ 5,574 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.91 प्रतिशत लेखांकित की गई और राजस्व व्यय की 8.85 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,770 करोड़), बाजार कर्ज (₹ 1,694 करोड़), केंद्र सरकार से लिए गए कर्ज (₹ 662 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 947 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋणों (₹ 395 करोड़) पर थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 274 करोड़ की वृद्धि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 295 करोड़ से), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 84 करोड़ से), बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 34 करोड़ से) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी, जिसे मुख्यतः राज्य भविष्य निधि पर ब्याज (₹ 103 करोड़ से) एवं अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 31 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,574 करोड़ की ब्याज अदायगियां, वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 6,275 करोड़ के बजट अनुमान और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,366 करोड़) दोनों से कम थीं।

राजसहायताएं

- ₹ 5,697 करोड़ (आयोजनेत्तर: ₹ 4,148 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 1,549 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 8.09 प्रतिशत लेखांकित किया गया और 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय का 9.05 प्रतिशत था। आयोजनेत्तर एवं आयोजना राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

- 2012-13 के दौरान, कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 2,673 करोड़ (47 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में राजसहायता की राशि (₹ 2,771 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 1,453 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 71 करोड़ से), जन संपर्क (₹ 100 करोड़ से) को राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2010-13 के तीन वर्षों की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-1.18: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13
शैक्षणिक संस्थाएँ	1,481.13	2,107.33	2,520.24
चिकित्सा स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य	623.35	753.28	564.11
आवास	156.36	201.04	267.98
नगरीय विकास	579.60	778.14	1,008.92
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.68	353.58	404.78
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	644.37	671.01	880.75
ग्रामीण विकास	768.21	711.40	464.38
ग्रामीण रोजगार	227.99	336.50	282.00
पंचायती राज	3,966.17	4,446.96	2,258.54
जल आपूर्ति तथा सफाई	160.08	111.04	178.57
अन्य संस्थाएँ	232.12	360.02	4,656.77
योग	9,117.06	10,830.30	13,487.04
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	20.25	20.55	21.42

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आंकड़े)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2011-12 में ₹ 10,830.30 करोड़ से 2012-13 में ₹ 13,487.04 करोड़ तक ₹ 2,656.74 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं (₹ 412.91 करोड़ से: 20 प्रतिशत) एवं शहरी विकास (₹ 230.78 करोड़ से: 30 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2011-12 में 20.55 प्रतिशत से 2012-13 में 21.42 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.6.5.1 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

(क) नगरीय स्थानीय निकाय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिका परिषदों तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषदों में गठित किया।

राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय (14 नगरपालिका निगम, 100 नगरपालिका परिषदें और 263 नगर परिषदें) हैं जो कि निर्वाचित निकायों द्वारा शासित होती हैं।

निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

- चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में निहित है कि नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं, राज्य विधानसभा, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को उपयुक्त स्तर पर शक्तियां और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। चौहत्तरवें संशोधन के अनुसार, 18 कार्य नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने थे।
- राज्य सरकार ने सभी 18 कार्यों (संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित) को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में विवरण दिया गया है और इन कार्यों का संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। तथापि, कोई भी निधि एवं अमला अलग से हस्तांतरित नहीं किया गया (जुलाई 2013)।

नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण

- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार की गई) के अनुसार राज्य सरकार के विभाजनीय कोष¹⁴ का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की विभाजनीय कोष	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किए जाने थे	नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए अनुदान
2012-13	20,240.70	202.41	202.41

इस तरह, वर्ष 2012-13 के दौरान कम अनुदान हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

स्वयं के संसाधनों से उत्पादित राजस्व

- जुलाई 2013 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों और व्यय का विवरण मांगा गया था। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि उक्त

¹⁴ विभाजनीय कोष से तात्पर्य विगत वर्ष के कुल कर राजस्व में से करों को वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि को घटाना एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व की कटौती है।

चाही गई जानकारी को एकत्रित कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा लेकिन जानकारी अपेक्षित है (अक्टूबर 2013)।

लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह किया जायेगा जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन के लिए करते हैं।
- 2012-13 के दौरान प्रधान महालेखाकार द्वारा नौ नगरपालिका निगमों सहित 57 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और निरीक्षण प्रतिवेदन को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। 2012-13 के अन्त में 5606 अभ्युक्तियाँ (2012-13 के दौरान जारी 603 अभ्युक्तियों को मिलाकर) शेष थीं।
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों के लिए एक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिए और राज्य के सभी स्थानीय निकायों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाये। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार, राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जिसमें राज्य स्तर पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे नगर पालिक निगम और नगरपालिका परिषद के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखेंगे, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति सितम्बर 2013 में चाही गई थी और अपेक्षित थी (अक्टूबर 2013)।

(ख) पंचायती राज संस्थाएं

आधार स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए तथा विकास कार्यक्रमों की पहचान एवं कार्यान्वयन में आम जनता के साथ-साथ ग्राम सभाओं को भी सम्मिलित करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रख्यापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 जी के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों

को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

परिणामतः, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं¹⁵ की एक त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। राज्य में 50 जिला परिषदें, 313 जनपद पंचायतें एवं 23006 ग्राम पंचायतें हैं।

निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

- तेहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 जी में निहित है कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संविधान के प्रावधानों के अधीन है, राज्य विधानसभा, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। तेहत्तरवें संशोधन के अनुसार 29 कार्य (संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में उल्लिखित) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने थे। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कोई भी कार्य हस्तांतरित नहीं किए गए।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

- तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार की) की कि राज्य सरकार के विभाजनीय कोष¹⁶ का चार प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरित किए गए अनुदान **तालिका 1.20** में दर्शाये गए हैं:

तालिका 1.20: पंचायती राज संस्थानों को अनुदानों का हस्तांतरण

वर्ष	राज्य सरकार का विभाजनीय कोष	अनुदान जो हस्तांतरित किए जाने थे	(₹ करोड़ में)
			वास्तविक हस्तांतरित किए गए अनुदान
2012-13	20,240.70	809.62	809.62

लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवंबर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2012-13 के दौरान 604 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदें 33, जनपद पंचायतें 117

¹⁵ जिला के लिए जिला पंचायत, ब्लॉक के लिए जनपद पंचायत एवं ग्राम के लिए ग्राम पंचायत

¹⁶ विभाजनीय कोष से तात्पर्य विगत वर्ष के कुल कर राजस्व में से करों को वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि को घटाना एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व की कटौती है।

एवं ग्राम पंचायतें 454) के अभिलेखों की प्रधान महालेखाकार द्वारा नमूना जांच की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजी गई थी। 2012-13 के अंत में 20,933 अभ्युक्तियां (2012-13 के दौरान जारी 3,674 अभ्युक्तियों सहित) शेष थी।

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों पंचायत राज संस्थानों के सभी स्तर (टियर) के लिये एक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये। राज्य के प्रत्येक स्तर (टियर) के स्थानीय निकाय हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यक रूप से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण दिया जाना चाहिये एवं उनके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। तदनुसार, जुलाई 2011 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे पंचायत के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखा जाएगा, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन की स्थिति चाही (सितम्बर 2013) गई थी। उत्तर अपेक्षित था (नवम्बर 2013)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.21 में 2009-10 एवं वर्तमान वर्ष 2012-13 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: 2009-10 एवं 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	(प्रतिशत में)	
					शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2009-10	24.50	69.08	30.10	16.63	13.65	3.49
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.09	72.44	32.69	14.47	13.82	4.14

* दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य संवर्ग के राज्य
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।
स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में उच्चतर व्यय किया।
- 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर समानुपात में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया कि 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से अधिक था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स) तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स)¹⁷ के प्रावधान

¹⁷ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से

पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹⁸ लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में ह्रास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2011-12			2012-13		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1.72	53.39	0.08	1.33	53.57	0.16
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.50	65.09	0.19	5.36	57.02	0.22
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	27.71	11.97	9.38	22.44	8.76	6.37
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.98	10.02	0.06	5.81	9.29	0.08
योग (सामाजिक सेवाएं)	7.26	37.75	0.92	6.20	35.15	0.84
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	2.31	34.21	0.19	5.18	30.50	0.17
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	83.53	67.61	5.76	85.57	68.19	4.79
बिजली तथा ऊर्जा	5.64	0.01	0.79	14.29	0.01	0.28
परिवहन	65.96	7.43	59.11	62.35	5.95	69.42
अन्य आर्थिक सेवाएं	19.60	9.88	1.41	12.61	3.96	1.39
योग (आर्थिक सेवाएं)	20.32	20.48	5.03	30.66	17.12	6.58
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	15.35	31.02	2.52	19.63	27.79	2.19

(स्रोत: वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश में 2011-12 में 7.26 प्रतिशत से 2012-13 में 6.20 प्रतिशत तक की कमी आई। तथापि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अंश में 2011-12 में 20.32 प्रतिशत से 2012-13 में 30.66 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में घोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

18

व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्रों के अंतर्गत थी जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः उर्जा और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह इंगित हुआ कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथिकताओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में संयुक्त रूप से 2011-12 में 31.02 प्रतिशत से 2012-13 में 27.79 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2011-12 में 2.52 प्रतिशत से 2012-13 में 2.19 प्रतिशत तक की कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत हुई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दिखाई दिया।
- हमने देखा कि 2003-04 से 2011-12 के दशक के दौरान, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय, की संपोषित वार्षिक वृद्धि दर, अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित हुआ कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.8 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में अपने बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

हमने देखा कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि जल संसाधन विभाग से एकत्रित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2013 को कुछ अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ से अधिक तालिका 1.23 में दी गई है।

तालिका 1.23: 31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	संचयी वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश					
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित की गई	24	1,164.02	3,231.94	1,787.73	2,067.92
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित नहीं की गई	25	821.20	821.20	595.08	--
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित नहीं की गई लेकिन वास्तविक खर्च प्रारंभिक बजट लागत से अधिक हुआ	06	19.51	19.51	29.72	10.21
योग	55	2,004.73	4,072.65	2,412.53	2,078.13

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाओं को परिशिष्ट 1.9 (क) से 1.9 (ग) में सूचीबद्ध किया गया है।

जल संसाधन विभाग की इन परियोजनाओं के पूर्ण न होने का कारण, भूमि अधिग्रहण में देरी, दर अनुसूची का पुनरीक्षण, ठेकेदार द्वारा कार्य का नहीं किया जाना, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में देरी और एजेंसी द्वारा धीमी प्रगति हैं।

1.8.2 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2013 तक सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (34), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारीयों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 14,656.50 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.24)। 2008-2013 की अवधि के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.37 प्रतिशत था जबकि सरकार ने इसी अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.89 प्रतिशत) का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	9,643.35	11,686.28	12,216.04	13,183.59	14,656.50
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	69.05	49.75	32.20	37.98	18.38
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.72	0.43	0.26	0.29	0.13
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.24	6.94	7.04	6.74	6.48
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.52	6.51	6.78	6.45	6.35

(स्रोत: वित्त लेख)

- मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 14,656.50 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगम: ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँ: ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंकों एवं समितियों: ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारीयाँ: ₹ 1.54 करोड़)।
- 2012-13 में इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.13 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-13 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.48 प्रतिशत की औसत दर से

भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।

1.8.3 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए बहुमूल्य राजकोषीय स्थान उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पी.पी.पी. परियोजनाओं में सड़क, उर्जा, जल आपूर्ति, अन्य नगरीय अधोसंरचना, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, भांडागार एवं रसद (Logistics), खेल, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा डेयरी आते हैं।

हमने देखा कि सितंबर 2013 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आरंभ हुई 209 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (₹ 25,726.22 करोड़) में से, केवल ₹ 5,341.51 करोड़ लागत की 40 परियोजनाओं (19 प्रतिशत) पूर्ण थीं। जबकि ₹ 13,709.74 करोड़ लागत वाली 115 परियोजनाएं प्रगति पर थीं, अन्य 54 परियोजनाएं (लागत ₹ 6,674.97 करोड़) स्वीकार नहीं की गई। विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिए गए हैं।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा चुकी है। तालिका 1.25 31 मार्च 2013 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	11,424	15,105		21,742
वर्ष के दौरान दी गई राशि	3,715	15,760	5,667	5,378
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	34	9,123	99	32
अन्त शेष	15,105	21,742		27,088
निवल संयोजन	3,681	6,637	5,568	5,346
ब्याज प्राप्तियां	21	1,200	202	42
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.16	6.51	--	0.17
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	7.04	6.74	--	6.48
ब्याज अदायगियां तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.88	0.23		6.31

(स्रोत: वित्त लेखे तथा 2012-13 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2013 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 27,088 करोड़ थे। इन कर्जों से प्राप्त ब्याज ₹ 42 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया कर्ज एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया था कि 31 मार्च 2013 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 81 प्रतिशत (₹ 21,917 करोड़) म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा आठ प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,259 करोड़), चार प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं

(₹1,034 करोड़) एवं तीन प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों (₹719 करोड़) से वसूल किया जाना था।

- 2012-13 के दौरान उधारियों पर 6.48 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.17 प्रतिशत बहुत कम थी।
- कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों (₹10,772 से) को दिए गए कर्ज में थी।
- 2012-13 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹9,091 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं को दिए गए कर्ज के अंतर्गत थी।
- 2012-13 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹42 करोड़), 2012-13 के बजट अनुमान (₹202 करोड़) एवं 2011-12 के वास्तविक आंकड़ों (₹1,200 करोड़) से कम था जो कि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज प्राप्त न होने के कारण था।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2013 को अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) वृद्धि(+)/कमी (-)
1 (क) सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	7,375.29	6,543.70	(-)831.59
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	692.55	(-)262.75	(-)955.30
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	2.61	--	(-) 2.61
योग (i) से (iv)	695.16	(-)262.75	(-) 957.91
2. रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	6,680.13	6,806.45	(+) 126.32
3 (ख) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश (i) से (iii)	400.59	531.11	(+) 130.52
(i) विभागीय रोकड़ शेष	2.48	132.24	(+) 129.76
(ii) स्थायी पेशगी	0.81	0.81	--
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	397.30	398.06	(+) 0.76
समग्र रोकड़ स्थिति 1(क)+3(ख)	7,775.88	7,074.81	(-) 701.07

(स्रोत : वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष में ₹7,775.88 करोड़ के स्तर से वर्ष 2012-13 के अंत में ₹701.07 करोड़ की कमी आई।
- वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार, ₹6806.45 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹248 करोड़ ब्याज की प्राप्ति

हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, म.प्र.सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।

‘चेक एवं देयक’ शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

‘चेक एवं देयक’ शीर्ष लेन-देनों के प्रारम्भिक अभिलेख मध्यवर्ती लेखा शीर्ष है जिनका अंततः निराकरण किया जाना होता है। मुख्य शीर्ष 8670 चेक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चेकों की राशि को दर्शाते हैं। 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2011-12 में ₹ 75.57 करोड़ की तुलना में 2012-13 में ₹ 27.27 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चेकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि कमी का कारण ई-भुगतान प्रक्रिया का कार्यान्वयन था। बकाया शेष कोषालय चेकों से संबंधित है जो जारी किए गए थे लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक भुनाए नहीं गए थे।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2012 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।



कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.11** एवं **1.12** में प्रस्तुत किया गया है।



राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2008-09 में ₹ 60,432 करोड़ से 2012-13 में ₹ 90,168 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2011-12 में 8.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2012-13 में 10.29 तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,363 करोड़), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹ 1,168 करोड़) भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 909 करोड़) तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 725 करोड़) के अंतर्गत थी।

तालिका 1.27 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.27: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

		(₹ करोड़ में)	
स.क्र.	नाम	2011-12	2012-13
1.	समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)	61,370	66,577
(i)	बाजार कर्ज	28,044	31,407
(ii)	शासकीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16,081	16,806
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स का जारी करना	1,773	1,413
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	3,516	4,684
(v)	भारत सरकार से जारी कर्ज एवं अग्रिम	11,359	12,268
(vi)	अन्य कर्ज	597	511
2.	लोक लेखा देयताएं	20,387	23,591
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	9,916	10,752
(ii)	सब्याज दायित्व	295	490
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	10,176	12,349

(स्रोत : वित्त लेखे)

2012-13 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 24.92 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों की 1.28 गुना तथा राज्यों के स्वयं के संसाधन की 2.40 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विाय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2011-12 में 0.44 से वर्ष के दौरान 0.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में कमी के कारण थी (तालिका 1.5)।

1.9.3 समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) के पैरा क्र.12.59 के अनुसार, सभी राज्यों को, बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कारण देयताओं इत्यादि सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। निधियों का राज्य की समेकित निधि से अलग से रखरखाव किया जाना चाहिए एवं ऋण मोचन को छोड़कर, अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि सितम्बर 2013 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की थी।

वित्त विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि राज्य के निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम (MPSGGR) 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए गारंटी देती है। गारंटियों के संस्वीकृतियों के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष

2010-11 से 2012-13 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 के अनुसार, राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटिया तालिका 1.28 में दी गई है।

तालिका 1.28: म0प्र0 सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियों का विवरण	(₹ करोड़ में)		
	2010-11	2011-12	2012-13
गारंटी की अधिकतम राशि	8,438.50	11,107.51	14,751.71
गारंटियों की बकाया राशि*	5,110.54	5,605.03	7,719.54
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	16.27	17.74	20.95
पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटी की प्रतिशतता	12.35	10.81	12.33
चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व व्यय का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	33,116.00	41,483.20	50,083.20
प्राप्य गारंटी या फीस	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
प्राप्त गारंटी या फीस	0.78	0.44	4.81

(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 के दौरान, बकाया गारंटियों में विगत वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। गारंटियां विद्युत क्षेत्र (59), सहकारी क्षेत्र (5), राज्य वित्त निगम क्षेत्र (18), नगरीय विकास एवं आवास क्षेत्र (58) तथा अन्य अधोसंरचना (44) के संबंध में दी गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी गारंटी दी गई थी, में ₹ 3,644 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1.28 में देखा जा सकता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2012-13 के अंत तक ₹ 388.87 करोड़ का अंतिम शेष था। 10 विभागों¹⁹ के अंतर्गत 133 संस्थान थे जिनको सरकार द्वारा गारंटियों हेतु संस्वीकृतियां प्रदान की गई थी। 2010-11 से 2012-13 के दौरान किसी भी गारंटी का आवाहन नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम 2009 (संशोधित) के नियम 10 के अनुसार, वित्त विभाग के ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ में गारंटी प्रकरणों से संबंधित पूर्ण विवरणों का रखरखाव किया जावेगा। वित्त विभाग से यह जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर, यह बताया गया (अप्रैल 2013) कि सम्पूर्ण अभिलेखों का प्रशासनिक विभागों द्वारा रखरखाव किया जाता था और जानकारी प्रशासनिक विभागों से मंगाई जा रही थी। तथापि जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी (सितम्बर 2013)।

वित्त विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि सभी आवश्यक विवरणों को संधारित करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग पर था क्योंकि गारंटी की संस्वीकृतियां वित्त विभाग द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विवरणों के संधारण न किए जाने से, प्राप्त होने वाली गारंटी की जानकारी, वित्त लेखे के साथ, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट

¹⁹ गृह विभाग, वित्त विभाग, उर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपेक्षित विधानसभा में प्रस्तुत किए गए विवरण में नहीं दर्शाई गई थी।

उर्जा विभाग से संग्रहित जानकारी एवं अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2013) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए तीन वितरण (विद्युत वितरण) कम्पनियों ने ₹ 69.82 करोड़²⁰ की गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया। उर्जा विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि वितरण कम्पनियाँ, वित्तीय कठिनाईयों के कारण गारंटी शुल्क का भुगतान करने में नियमित नहीं है एवं सभी वितरण कम्पनियों को सरकारी लेखे में बकाया गारंटी फीस जमा कराने के लिए एवं गारंटी फीस समय पर जमा कराना सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी (सितंबर 2013) किए जा चुके हैं।

1.9.5 असंचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत निम्नलिखित आरक्षित निधियों में जमा शेष, जिनको उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, का अंतिम पाँच वर्षों के दौरान न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया, का विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: 2008-13 के दौरान आरक्षित निधियाँ जिनका न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया

आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2013 को शेष
(i) पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि	1,116.81
(ii) म.प्र.ग्रामीण विकास निधि	414.21
(iii) वन विकास निधि	189.50
(iv) क्षतिपूर्ति वानिकी निधि	31.81
योग	1,752.33

(स्रोत: वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के उपयोग न किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2013)। इस ओर इंगित किए जाने पर वित्त विभाग ने बताया कि संबंधित विभागों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता²¹ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण²², ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता²³, उधार ली गई निधियों की निवल

²⁰ मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश (₹ 29.24 करोड़), पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (₹ 16.26 करोड़) एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (₹ 24.32 करोड़)

²¹ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

²² ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर

उपलब्धता²⁴, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.30 में 2008-13 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.30: ऋण धारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

		(₹ करोड़ में)				
ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	3,764	2,117	8,333	10,390	4,632	
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-),1,649	(-),1,766	927	-488	-3,660	
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)	
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	

1.10.2 ऋण स्थिरीकरण

ऋण धारणीयता के लिए मुख्य शर्त है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण के संबंध में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर अस्थिर है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर धारणीय है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2008-13 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण धारणीयता के स्तर पर थे।

1.10.3 ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण धारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण धारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी

होगा या ऋण की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

²³ वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

²⁴ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्ति ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयतओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण धारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2008-10 एवं 2011-13 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ। 2008-10 एवं 2011-13 की अवधि के दौरान कर्जों की कोई भी महत्वपूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

1.10.4 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

ऋण परिशोधन अनुपात ने 2008-13 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4)। इसमें 2008-09 में 0.95 से 2010-11 में 0.87 की कमी आई एवं 2011-12 में 0.95 तक की वृद्धि हुई। इसमें पुनः 2012-13 के दौरान 0.86 की कमी आई जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹ 2,936 करोड़), नवीन आंतरिक ऋण प्राप्ति (₹ 7,234 करोड़) का 41 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹ 648 करोड़), ₹ 1,557 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्ति का 42 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों (₹ 7,582 करोड़) के मामले में पुनर्भुगतान ₹ 10,787 करोड़ की नवीन प्राप्ति का 70 प्रतिशत था। इससे यह प्रकट हुआ कि नवीन ऋण प्राप्ति आंशिक रूप से ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग की गई थी।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 7,234 करोड़ की प्राप्ति में से, सरकार ने 8.70 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 4,500 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹ 1,250 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से, ₹ 1,439 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹ 45 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 1,032 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,557 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों की प्राप्ति में वृद्धि था। आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रूप से समाविष्ट था।

1.10.5 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.31: 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2011-12				वित्तीय वर्ष 2012-13			
	6003-आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों के कारण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003-आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,851.66	536.77	2,388.43	3.89	2,155.17	1,116.55	3,271.72	4.91
1-3	5,013.71	1,108.28	6,121.99	9.98	5,338.84	1,154.89	6,493.73	9.75
3-5	4,901.40	1,146.62	6,048.02	9.85	5,816.11	1,178.33	6,994.44	10.51
5-7	8,159.39	1,164.56	9,323.95	15.19	11,624.32	1,183.68	12,808.00	19.24
7-9	11,510.14	1,164.40	12,674.54	20.65	9,833.07	1,183.46	11,016.53	16.55
9-11	5,789.14	1,164.18	6,953.32	11.33	6,433.07	867.75	7,300.82	10.97

11-13	1,789.14	848.46	2,637.60	4.30	1,896.61	250.37	2,146.98	3.22
13-15	1,675.56	231.08	1,906.64	3.11	1,738.67	161.58	1,900.25	2.85
15 और इससे अधिक	3,434.85	211.06	3,645.91	5.94	3,377.15	107.32	3,484.47	5.23
विविध*	5,886.02	3,783.50	9,669.52	15.76	6,096.32	5,063.88	11,160.20	16.76
योग	50,011.01	11,358.91	61,369.92		54,309.33	12,267.81	66,577.14	

(स्रोत: वित्त लेखे)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है


ऊपर दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शित करती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 25 प्रतिशत एक एवं पाँच वर्षों के मध्य, 47 प्रतिशत पाँच एवं 11 वर्षों के मध्य तथा 11 प्रतिशत 11 एवं 15 वर्षों के मध्य और अधिक के पश्चात पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 17 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.13 एवं चार्ट 1.14 2008-13 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2008-09 में ₹4,063 करोड़ से 2011-12 में ₹9,910 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई, उसके बाद 2012-13 में कम (₹2,451 करोड़ से) होकर ₹7,459 करोड़ रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व आधिक्य से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में 3.20 प्रतिशत से 2012-13 में 2.06 प्रतिशत की कमी हुई जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता के रूप में कमी के कारण थी। 2012-13 के दौरान यह बजट अनुमान के 1.89 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, में 2008-09 में ₹4,433 करोड़ से 2012-13 में ₹9,420 करोड़ की वृद्धि अंतर वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹3,660 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से 2012-13 में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रही।
- प्राथमिक घाटे में 2008-09 में ₹241 करोड़ से 2012-13 में ₹3,846 करोड़ तक की वृद्धि अंतर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य को कुल उधारियों की आवश्यकता एवं राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व

एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए।

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप तालिका 1.32 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का अपघटन					
राजकोषीय घाटा	-4,433	-6,199	-5,272	-5,760	-9,420
1 राजस्व आधिक्य	4,063	5,498	6,842	9,910	7,459
2 निवल पूंजीगत व्यय	-6,689	-7,903	-8,433	-9,032	-11,534
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-1,807	-3,794	-3,681	-6,638	-5,345
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप					
1 बाजार उधारियां	3,957	5,016	3,258	3,166	3,363
2 भारत सरकार से कर्ज	709	888	577	403	909
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-126	492	1,582	-167	725
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	51	-188	-488	198	210
5 आरक्षित निधियां	12	324	275	1,191	2,020
6 अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	204	412	773	698	837
7 जमा एवं अग्रिम	237	705	1,678	783	348
8 उचन्त एवं विविध	-43	10	86	-28	-93
9 प्रेषणों	62	31	519	391	400
10 रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+630	+1,491	+2,988	+875	-701

(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 में, राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2011-12 में 55 प्रतिशत से 2012-13 में 36 प्रतिशत तक की कमी आई। 2011-12 की तुलना में 2012-13 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर था जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दिखाई दी।

1.12 मध्य प्रदेश सरकार की बाजार उधारियां

1.12.1 प्रस्तावना

वर्ष के दौरान सरकार को उधारियों की आवश्यकता, राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत करती है। उधारियों को राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक ऋण को पुनः बाजार कर्ज एवं समझौते वाले कर्ज (Negotiated Loans) में विभाजित किया गया है। बाजार उधारियां भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में निहित है कि यदि राज्यों पर केंद्र सरकार की देनदारी (ऋण) है तो राज्य, भारत सरकार की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकते हैं।

राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा (उधारियों के बराबर) वित्त आयोग (भारत सरकार) द्वारा अनुशंसित की जाती है। 2011-12 एवं 2012-13 वर्षों के लिए, यह सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने भी, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में भी वही सीमा निर्धारित की है। अधिनियम उत्पादित परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधारियों का

उपयोग निर्धारित करता है। योजना आयोग (भारत सरकार) वार्षिक आयोजना को वित्त पोषित करने की योजना एवं उधारियों की आवश्यकता को अनुमोदित करता है। राज्य सरकार, राज्य बजट के लिए प्राप्ति एवं बाजार ऋण के अंतर्गत पुनर्भुगतान के अनुमान तैयार करती है। 2008-13 के दौरान, राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नीलामी द्वारा सभी बाजार कर्ज 10 साल की अवधि वाले लिए।

वर्तमान समीक्षा (मई-सितंबर 2013) यह जांच करने के लिए की गई थी कि क्या बाजार उधारियों की आवश्यकताओं का दक्षतापूर्वक आंकलन किया गया और उधार ली गई निधियों का उत्पादन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया।

1.12.2 मध्य प्रदेश में बाजार उधारियों की स्थिति

तालिका 1.33 2008-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की राशि एवं प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया बाजार कर्ज की राशि दर्शाती है।

तालिका 1.33: बाजार कर्ज की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	12,647	16,604	21,620	24,878	28,044
वर्ष के दौरान लिए गए बाजार कर्ज	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500
वर्ष के दौरान किए गए पुनर्भुगतान	538	805	642	834	1,137
वर्ष के अंत में बकाया	16,604	21,620	24,878	28,044	31,407
निवल वृद्धि	3,957	5,016	3,258	3,166	3,363

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.12.3 ऋण धारणीयता संकेतक-कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य में लोक ऋण एवं कुल देयताओं की तुलना में बाजार उधारियों की स्थिति तालिका 1.34 में दी गई है।

तालिका 1.34: ऋण धारणीयता- कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में कुल देयताएं	60,432	67,853	75,504	81,757	90,168
कुल देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.26	12.28	11.28	8.28	10.29
कुल लोक ऋण (बकाया)	46,632	52,841	57,769	61,370	66,577
लोक ऋण की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.92	13.31	9.33	6.23	8.48
कुल बाजार कर्ज (बकाया)	16,604	21,620	24,878	28,044	31,407
बाजार उधारियों की संवृद्धि	31.30	30.21	15.07	12.73	11.99
कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज की प्रतिशतता	27.48	31.86	32.95	34.30	34.83
लोक ऋण की तुलना में बाजार कर्ज की प्रतिशतता	35.61	40.92	43.06	45.70	47.17
बाजार कर्ज पर दिया गया ब्याज	1,009	1,488	1,804	1,660	1,694
वित्त वर्ष के दौरान लिये गये बाजार कर्ज पर भारित औसत ब्याज दर	7.48	8.36	8.41	8.91	8.69
ब्याज दर अनुपात की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर	2.96	1.86	1.68	2.13	1.94
राजस्व प्राप्ति अनुपात की तुलना में ब्याज अदायगियां	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08
राजकोषीय घाटा	4,433	6,199	5,272	5,760	9,420
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता	2.25	2.72	2.03	1.86	2.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं की प्रतिशतता	30.63	29.76	29.02	26.40	24.92

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल लोक ऋण की प्रतिशतता	23.64	23.18	22.20	19.82	18.40
बकाया गारंटियां (वर्ष के अंत में)	1,930	1,630	5,111	5,605	7,720
सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

(स्रोत: वित्त लेखे एवं संबंधित वर्षों के मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

उपर्युक्त के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट होता है:

- यद्यपि 2008-13 की अवधि के दौरान कुल देयताओं एवं लोक ऋण (कुल देयताओं का मुख्य संघटक) में लगातार वृद्धि हुई, इस अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में लोक ऋण, के अनुपात में कमी आई।
- 2008-13 की अवधि के दौरान बकाया बाजार उधारियों की राशि में 89.15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, लेकिन संवृद्धि में 2008-09 में 31.30 प्रतिशत से 2012-13 में 11.99 प्रतिशत की क्रमशः कमी आई। लोक ऋण में बाजार उधारियों के अंश में 2008-09 में 35.61 प्रतिशत से 2012-13 में 47.17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिससे बाजार उधारियां, जो कि शर्तमुक्त प्रकृति की है, पर अधिक निर्भरता दर्शित हुई।
- राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात में 2008-09 में 0.12 से 2012-13 में 0.08 की लगातार कमी आई जिससे राज्य के संसाधन एवं ऋण धारणीयता में सुधार दर्शित हुआ।

1.12.4 पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार कर्ज का लिया जाना

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि बड़े रोकड़ शेष रखने वाले राज्यों को नवीन उधारियों का सहारा लेने से पहले उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग हेतु प्रयास एवं उधारियों की आवश्यकता होने पर ही उधार लेने, न कि उपलब्ध होने पर, की पद्धति का पालन करना चाहिए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने '14 दिनी खजाना बिल' के अंतर्गत पर्याप्त रोकड़ शेष उपलब्ध होने के बावजूद बाजार कर्ज का सहारा लिया। 2008-09 के दौरान न्यूनतम रोकड़ शेष शून्य आ गया (29.10.2008)। तथापि, वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान, न्यूनतम शेष ₹ 1,936 करोड़ एवं ₹ 4,510 करोड़ के मध्य रहा (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ₹ 1.96 करोड़ के आवश्यक न्यूनतम शेष के विरुद्ध)। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सरकार ने बड़े रोकड़ शेष होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष ₹ 3,870 करोड़ से ₹ 5,821 करोड़ के मध्य के बाजार कर्ज लिए।

हमने यह भी देखा कि बाजार कर्ज लेने वाले दिन, खजाना बिल में रोकड़ शेष निवेश (अगले 15 दिन के दौरान न्यूनतम शेष भी) प्रत्येक अवसर पर लिए गए बाजार कर्ज की राशि से अधिक था। विवरण परिशिष्ट 1.11 (क) में दिए गए हैं। इस तरह, प्रत्येक अवसर पर लिए गए बाजार कर्ज वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक थे, जिससे रोकड़ शेष निवेश में जनवरी 2009 में ₹ 1,647 करोड़ से मार्च 2013 में ₹ 7,096 करोड़ तक वृद्धि हुई।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि बाजार कर्ज की आवश्यकताओं के आंकलन के लिए नकदी प्रवाह प्रवृत्ति एवं रोकड़ शेष के अतिरिक्त प्रत्याशित प्रतिबद्ध देयताओं एवं विकास गतिविधियों पर विचार किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि 2008-13

के दौरान '14 दिनी खजाना बिल' में निवेश की राशि में वृद्धि, आवश्यकता से अधिक कर्ज लेने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि सरकार के पाँच प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया जबकि राज्य सरकार ने 2009-13 के दौरान 8.36 प्रतिशत से 8.91 प्रतिशत के मध्य की ब्याज की उच्चतर दर से बाजार कर्ज लिए। विवरण **परिशिष्ट 1.11 (ख)** में दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के खजाना बिलों में निवेश पर विचार किया जाएगा। '14 दिनी खजाना बिल' में निवेशित बाजार कर्ज उच्च नकदी साधन हैं और राज्य की आवश्यकतानुसार उपयोग किए जाते हैं। ब्याज दायित्व का पूर्वानुमान होने पर भी बाजार कर्जों के न लेने के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

कर्ज लेने के संबंध में वित्त विभाग का उत्तर तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आनुरूप नहीं है।

1.12.5 बाजार उधारियों के लिए अग्रिम संकेतक कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार उधारियों के लिए तैयार किए गए संकेतक कैलेंडर को, अनंतिम राशि एवं वित्त वर्ष के आगामी तिमाही के लिए संकेतक दिनांक अनुलग्न करते हुए राज्य के खुले बाजार उधारी कार्यक्रम का समय दर्शाने के निवेदन के साथ राज्य सरकार को भेजा जाता है। जांच में प्रकट हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 की सभी तिमाहियों के उधारी कैलेंडर तैयार किए थे। उन वर्षों में भी वास्तविक बाजार उधारियां प्रस्तावित अग्रिम उधार कैलेंडर से अधिक भिन्न थी। विवरण **परिशिष्ट 1.11(ग)** में दिए गए हैं।

1.12.6 बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना आयोग द्वारा बाजार उधारियों की उधार सीमा

बाजार उधारियों की उधार सीमा 2008-13 के दौरान, बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं बाजार उधारियों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सीमा का विवरण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में उधारी सीमा/अनुमान

बाजार उधारियों की उधारी सीमा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सीमा	2,414	5,821	4,965	5,237	6,277
बजट अनुमान	2,923	5,721	6,500	6,267	8,594
पुनरीक्षित अनुमान	4,330	6,150	4,173	6,283	7,414
वास्तविक बाजार उधारियां	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500

(स्रोत: योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक आयोजना एवं राज्य बजट के साथ प्रस्तुत किए गए विवरण पत्रक)

उपर्युक्त से देखा गया कि वास्तविक बाजार उधारियां तथा बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं योजना आयोग की सीमाओं के मध्य सारभूत अंतर थे जिससे बजट उधारियों का अविवेकपूर्ण आंकलन दर्शित हुआ।

2008-09 के दौरान, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ 729.23 करोड़) की अनुमानित प्राप्तियों में कमी के कारण, राज्य सरकार ने योजना आयोग को सीमा ₹ 3,864.72 करोड़ पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव दिया। तथापि, अभिलेखों में इसका अनुमोदन उपलब्ध नहीं था। सभी वर्षों में, वास्तविक बाजार कर्ज संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति/सहमति से प्राप्त किए गए थे।

1.12.7 बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.36 में नीचे दी गई है।

तालिका 1.36: बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति

(31 मार्च 2013 की स्थिति)		
परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार कर्ज के प्रतिशत के रूप में 31 मार्च 2013 को ₹ 31,407 करोड़ के
2013-14	1,429	4.55
2014-15	2,129	6.78
2015-16	1,709	5.44
2016-17	1,549	4.93
2017-18	2,500	7.96
योग (2013-18)	9,316	29.66
2018-19	3,870	12.32
2019-20	5,821	18.53
2020-21	3,900	12.42
2021-22	4,000	12.74
2022-23	4,500	14.33
योग (2018-23)	22,091	70.34
महायोग	31,407	100

(स्रोत: वित्त लेखे)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बाजार ऋण के मोचन दायित्व, बकाया बाजार ऋण के 70.34 प्रतिशत होंगे, अगले पाँच वर्षों के दौरान 29.66 प्रतिशत के विरुद्ध। हमने देखा कि सरकार 10 साल की अवधि वाले कर्ज लेने की नीति जारी रखे हुए है एवं इस बारे में पूछे जाने पर (अप्रैल 2013), क्या वित्त विभाग द्वारा बाजार कर्जों को पुनर्निधारणीय करने (Roll over) का कोई विश्लेषण किया गया था, वित्त विभाग द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

1.12.8 ब्याज दर रूपरेखा

2008-13 के दौरान लिए गए बाजार कर्जों पर ब्याज दरें तालिका 1.37 में दी गई हैं।

तालिका 1.37: ब्याज दर रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

ब्याज की दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार कर्ज					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
5-5.99	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6-6.99	900	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	900
7-7.99	1,960	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1,960
8-8.99	1,635	5,821	3,900	3,000	4,500	18,856
9-9.99	निरंक	निरंक	निरंक	1,000	निरंक	1,000
योग	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500	22,716
भारित औसत ब्याज दर	7.48	8.36	8.41	8.91	8.69	

(स्रोत: वित्त लेख)

इससे यह दर्शित होता है कि 2008-13 के दौरान बाजार कर्ज का सारभूत 87 प्रतिशत (₹ 22,716 करोड़ में से ₹ 19,856 करोड़) आठ से 9.99 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया। यह भी देखा गया कि 2011-12 के दौरान सरकार ने 18 अक्टूबर 2011 को 9.05 प्रतिशत की वार्षिक दर से ₹ 1,000 करोड़ लिए जबकि उसी दिन '14 दिनी खजाना बिल' में ₹ 4,594 करोड़ के रोकड़ शेष थे।

1.12.9 बाजार उधारी के उपयोग की निगरानी हेतु प्रणाली

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 उधारियों का उपयोग परिसंपत्तियों के उत्पादन के लिए निर्धारित करता है। सरकार ने ऋण के प्रत्येक अंश में, बाजार ऋण लेने के उद्देश्य को विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने के रूप में अधिसूचित किया। हमने देखा कि वित्त विभाग द्वारा लिए गए बाजार ऋण के उपयोग के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप बाजार कर्ज के प्रयोग/अनुप्रयोग के इच्छित उद्देश्यों जैसे पूंजी निर्माण एवं विकास योजनाओं का वित्त पोषण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। हमने देखा कि 2008-13 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में पूंजीगत व्यय की राशि (संवितरित ऋण सहित) निवल उधारियों से उच्चतर थी। पूंजीगत व्यय के विवरण की पूर्व में ही कंडिका 1.6.2 में चर्चा की जा चुकी है।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि बाजार कर्ज, कुल संसाधनों के भाग थे। बाजार कर्जों में से प्रत्यक्ष रूप से व्यय करने का कोई नियम नहीं था। बाजार कर्जों एवं रोकड़ शेष से पृथक विकास योजनाओं पर व्यय का वर्गीकरण संभव नहीं था। बाजार कर्जों की उपयोगिता राज्य के पूंजीगत व्यय से सुनिश्चित की जा सकती थी जो कि बाजार कर्जों की तुलना में उच्चतर थी।

वित्त विभाग का उत्तर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आनुरूप्य नहीं है क्योंकि यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि बाजार कर्ज से कौन सी उत्पादित परिसंपत्तियां निर्मित हुई थीं और कौन सी विकास योजनाएं वित्त पोषित हुई थीं।

1.13 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश में राजस्व आधिक्य 2004-05 से रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.38) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्ति	(₹ करोड़ में)	
							प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56

*अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित
(स्रोत: वित्त लेख)

2008-13 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्ति सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2008-13 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.14 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,459 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाए रखा। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,451 करोड़ की कमी आई। यद्यपि, राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,420 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से (₹ 3,660 करोड़ की) वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2011-12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़) में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई, उसके पश्चात 2011-13 के दौरान धीरे-धीरे कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान का योगदान था।
- 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (16.85 प्रतिशत) भारत की सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (13.26 प्रतिशत) से उच्चतर थी।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ तक 19.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 21.65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 39.83 प्रतिशत अधिक था लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।
- 2012-13 में पूंजीगत व्यय (₹ 11,567 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायता भुगतानों में से, 47 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।
- 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अंतरण

- 2012-13 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 6,233.66 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं। इस प्रकार की निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण हेतु कोई पद्धति नहीं है।

अपूर्ण परियोजनाएं

- जल संसाधन विभाग में, मार्च 2013 तक 55 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,412.53 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसमें से 24 परियोजनाओं की आरंभिक अनुमानित लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 2,067.92 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2012-13 के दौरान, सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों में किए गए ₹ 14,656.50 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹ 18.38 करोड़) केवल 0.13 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.48 प्रतिशत थी।

निधियों की निवल उपलब्धता

- वर्ष 2012-13 के दौरान, आंतरिक ऋणों का पुनर्भुगतान, भारत सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्व तथा उन पर ब्याज नवीन ऋणों का 86 प्रतिशत था जिससे परिसंपत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थीं।

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 90,168 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात (24.92 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36.8 प्रतिशत के भी भीतर था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2011-12 में 0.44 से 2012-13 के दौरान 0.61 तक की वृद्धि हुई।
- 2012-13 के दौरान, राज्य की निवल बाजार उधारियों (₹ 3,363 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2009-13 की अवधि के दौरान, सरकार ने पर्याप्त रोकड़ शेष होते हुए भी बाजार कर्ज लिए, जो कि कम ब्याज देने वाली '14 दिनी खजाना बिल' में निवेश किए गए थे। वार्षिक आयोजनाओं, बजट अनुमानों एवं पुनरीक्षित अनुमानों में बाजार उधारियों का आंकलन अविवेकपूर्ण था।

1.15 अनुशंसाएं

- सरकारी निवेशों पर कम प्रतिलाभ के साथ बढ़ती हुए राजकोषीय देयताएं राज्य पर लंबी अवधि में दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निवेश, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने एवं अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उपयुक्त उपाय प्रारंभ नहीं किए जाते।
- सरकार को राज्य में सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।
- भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों के बेहतर अनुवीक्षण के लिए, राज्य अभिकरणों को एक समान लेखाकरण पद्धतियों का पालन एवं व्यय का उचित प्रलेखन तथा समायोजित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश बनाने एवं अनुवीक्षण में सुधार लाना चाहिए।

- नवीन उधारियां लेने से पहले राज्य को आधिक्य रोकड़ शेषों का उपयोग करना चाहिए। उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन एवं विकास योजनाओं के वित्त पोषण के घोषित उद्देश्यों के लिए बाजार उधारियों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उनके उचित उपयोग के अनुवीक्षण के लिए एक पद्धति का विकास किया जाए।